13.02.2024

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

पटवारी हल्का दुसारणा बनाम तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 58 /2024 U/S 131,132,&136 LRA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.02.2024	आज यह प्रार्थना पत्र स्टेट ने भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 व 136 व राजस्थान भू.अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)/राज.6/2003पार्ट 104 दिनांक 10.08.2016के सदर्भ में रोही ग्राम दुसारणा बास बडा के वर्तमान खसरा नंबर 418/147 तादादी 0.0950 हैक्टेयर भूमि जो कि एन.एच.–11 से दुसारणा बडा सडक से फटकर जी.एस.एस. हेतु प्रस्तावित भूमि तक लगती है, यह सिवायचक भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है कि किस्म सिवायचक (बारानी) से गै.मु. रास्ते के उपयोग में आ रही है कि किस्म सिवायचक (बारानी) से गै.मु. रास्ता में दर्ज करवानें हेतु अनुशंषा सहित प्रस्ताव संलग्न कर भिजवाये गये है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3(1) में परिभाषित है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 के द्वारा धारा 131,132,136 की शक्तियों के अधीन है। राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 का अध्याय 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य से संबंधित है। राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा 131 में मानचित्र एवं फिल्डबुक का संधारण व धारा 132 में वार्षिक रजिस्टरों में संधारण का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत भू–सम्पति या खेत की सीमाओं के सभी परिवर्तनों को नक्शें पर लेने का दायित्व है। राजस्थान भू. राजस्व (भू. अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 के नक्शे में दुरूस्ती करनें के प्रावधान है जो नक्शे में संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.04.2008 से संशोधन कर नियम 60 जोडी गई है। प्रार्थना पत्र साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे चालू रास्ते का अंकन का प्रावधान किया गया है, जिसमे नियम 58 गश्त गिरदावरी, नियम 59 नक्शे के संबंध में नियम 60 नक्शे में दुरूस्ती के संबंध में नियम 66 खेतो के विभाजन के संबंध में व नियम 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के संबंध में होना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी खसरा नबर [illegible], नक्शा, मिलान क्षेत्रफल में खसरा नंबर 418/147 [illegible] संख्या 01 सिवायचक (बारानी) दर्ज है। [illegible] भू.अभिलेख निरीक्षक [illegible] नी अपनी रिपोर्ट मे जाहिर किया है कि रोही ग्राम [illegible]सारणा बास बडा के वर्तमान खसरा नंबर 418/147 [illegible]दी 0.0950 हैक्टेयर भूमि जो कि एन.एच.11 से दुसारणा बडा सडक से फटकर जी.एस.एस. हेतु प्रस्तावित भूमि तक लगती है, यह सिवायचक भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है कि किस्म सिवायचक (बारानी) से गै.मु.रास्ता दर्ज करनें हेतु अनुशंषा प्रस्तुत की गई। चूंकि उक्त भूमि खाता संख्या 01 सिवायचक (बारानी) राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं भूमिधारी तहसीलदार द्वारा ही उक्त सिवायचक भूमि को गै.मु.रास्ता में दर्ज करनें का निवेदन किया गया है। लिहाज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

रोही ग्राम दुसारणा बास बडा के वर्तमान खसरा नंबर 418/147 तादादी 0.0950 हैक्टेयर भूमि जो कि एन.एच.–11 से दुसारणा बडा सडक से फटकर जी.एस.एस.हेतु प्रस्तावित भूमि तक लगती है, यह सिवायचक भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है कि किस्म सिवायचक (बारानी) से सार्वजनिक गै.मु. रास्ते में दर्ज किये एवं रास्ते के नजरी नक्शेनुसार नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार रकबे को गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने बाबत् तहरीर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को जारी हो।

आदेश आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner